

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- निसआआ/राआम/2012/125

दिनांक :- 29/6/2012

कार्यालय आदेश

आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में किये गये निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि मण्डल की योजनाओं में रिक्त भूमि/अवाप्त की जा रही/अवाप्त की गई भूमि पर मण्डल के सम्पत्ति बोर्ड नहीं लगाये जाते, जिसकी वजह से रिक्त भूमि/ अवाप्त की जा रही/अवाप्त की गई भूमि पर अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण की संभावना बनी रहती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता/एवं परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ को निर्देशित किया जाता है, कि वे संलग्न नमूने के अनुरूप मण्डल की रिक्त भूमि/अवाप्त की जा रही/अवाप्त की गई भूमि पर आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति राजस्थान आवासन मण्डल के बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि मण्डल की भूमि पर होने वाले अनाधिकृत कब्जों एवं अतिक्रमणों से बचा जा सकें।

उपरोक्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जायें मुख्यालय के सभी अधिकारी गण इन निर्देशों का अक्षरशः से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(टी. रवीकान्त)

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष, रा0आ0मं0 जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0 जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियन्ता- प्रथम/द्वितीय/पीएण्डएम, रा0आ0मं0 जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0 जयपुर।
5. ए.सी.पी. रा0आ0मं0 जयपुर (मण्डल की वेबसाइट पर आदेशों की प्रति एव सम्पत्ति बोर्ड के नमूने लगाना सुनिश्चित करे)
6. समस्त आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0 जयपुर।
7. समस्त परियोजना अभियन्ता, वरिष्ठ, रा0आ0मं0 जयपुर।
8. रक्षित फाईल।


(टी. रवीकान्त)

आवासन आयुक्त